न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बनवारी लाल (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 155/2017

सरकार बनाम जगवीर पुत्र झीण्डूराम जाति– जाट निवासी– घरडू

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 17/11/2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल जगवीर पुत्र झीण्डूराम, जाति–जाट, निवासी–घरडू द्वारा रोही मौजा घरडू की भूमि ख.नं. 114 के कुल रकबा 4.08 है0 किस्म गै.मु. पायतन में से रकबा 0.01 है0 भूमि पर शोचालय व स्नानघर बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उक्त निर्माण हमारे पूर्वजों के बनाये हुए हैं जो लगभग 40–45 साल पुराने है। इनके अलावा हमारे पास ओर कोई जगह नहीं है। अपने कब्जे के विधिक होने संबन्धी कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नही किये। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरुप सरह लगान 0.06 का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं......37..........पर
वर्ष.2017-18....में रुपये....5/.....कायम किए
राजस्व लेखाकार

(बनवारी लाल)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़